

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग-1
संख्या- /XXXVI(1)/2016-184/2001 T.C-I
देहरादून दिनांक: 09 अगस्त, 2016

डाक प्राप्ति संख्या 2629/10-8-16

दिनांक 22-9-2016

अधिसूचना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम सं०-39 सन् 1987) की धारा-6 के साथ पठित उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम 3 के उपनियम (2)(XII) के अधीन श्री राज्यपाल, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से श्री जे०डी० सिंह (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) के स्थान पर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में पदेन सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

संख्या- (1)/XXXVI(1)/2016-184/2001 T.C-I तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव,

संख्या- 370(2)/XXXVI(1)/2016-184/2001 T.C-I तददिनांक।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
3. जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

S.d.

विशेष कार्य अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल

आज्ञा से

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव